


3

261

न्यायालय का नू राबिस्व मंगळ महालयर कैम्य रोवा म. प्र.



RS. 20/-

5195J115

- 1:- ग्राम पति श्री लोकराभ ठ कुं तहसोल मंगळ जिला रोवा म. प्र.
- 2:- राजी मिश्र तय स्वर्गीय भोला राज मिश्र उम 64 वर्ष निवासी कुदो तहसोल मंगळ जिला रोवा म. प्र. ————— निगरानी कर्ता

जनमि.

- 1:- रमेश कुमार नाई तय रामसजोवन नाई उम 37 वर्ष निवासी पत्थरहा डेरा तहसोल मंगळ जिला रोवा म. प्र.

- 2:- शासु म. प्र.

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अविभागीय अधिकारी महोदय तहसोल मंगळ जिला रोवा द्वारा प्र. प्र. 114/अ-19/14-15 में पारित आदेश दिनांक 9.10.015 के विरुद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0 1959 ई0।

मुद्रिका प्राप्त 29.11.15
26-11-15
रीडर
सिक्रेट कोर्ट रोवा

परिष्कार,

पुनरोक्ष के आधार निम्नलिखित है :-

- 1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 9.10.015 विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
- 2:- यह कि विचारण न्यायालय श्रीमान् तहसोलदार महोदय वृत्त सोतापुर तहसोल मंगळ के समक्ष - गैर पुनरोक्ष कर्ता क्र. 1 द्वारा आम निस्तार को क्रम संख्या क्रमांक 7/4 रकबा के कुल रकबा 0.140 हे0 स्थित ग्राम लोकराभ ठ तहसोल मंगळ जिला रोवा के शासकीय भूमि को म0 प्र0 ग्राम दखत रही भूमि

M

36


राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-रीवा

क्रमांक R5195-IV/15

ग्रामवासी टोकराभाठ खुर्द/ रमेश कुमार

माई

(1)	(2)	(3)
19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुद्रिका प्रसाद विश्वकर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मउगंज के प्रकरण क्रमांक 114/अ-19/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	